# प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला – भ्र.नि.ब्यूरो (एस.यू.) जोधपुर थाना – प्र. आ. केन्द्र भ्र. नि. ब्यूरो, जयपुर
   प्र. ई. रि. स. – 140/2023 दिनांक – 06-06-2023
2. (अ) अधिनियम – भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) धाराये – 7
   (ब) अधिनियम – .................... धाराये – ....................
   (स) अधिनियम – .................... धाराये – ....................
   (द) अन्य अधिनियम –....................धाराये – 120 बी आईपीसी
3. अ. रोजनामचा आम रपट संख्या – 110 समय – 6:30 PM
   ब. अपराध के घटने का दिन – सोमवार, दिनांक – 04.05.2023 समय – 11.02 ए.एम.
   स. कार्यालय पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 01.05.2023 समय – 06.30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म – लिखित/मौखिक – लिखित।
5. घटना स्थल –
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बरूख उतर पश्चिम 140 किलोमीटर लगभग
   (ब) पता :– पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर ग्रामीण।
   बीट संख्या जरायम देही संख्या
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं तो
   पुलिस थाना ....................जिला ....................
6. परिवादी का नाम
   (अ) नाम – श्री रमेशचन्द
   (ब) पिता/पति का नाम – श्री भागीरथराम
   (स) जन्म तिथि/वर्ष – 24 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (य) व्यवसाय – खेती
   (र) पता – निवासी ग्राम पंचायत हंसादेश लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियो सहित–
   1. श्री महेन्द्र पुत्र श्री हुकमाराम उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट चिरढ़ाणी तहसील बिलाड़ा पुलिस थाना पीपाड़ जिला जोधपुर हाल कानि0 नं. 674 पुलिस लाईन जोधपुर ग्रामीण व अन्य संदिग्ध
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :– कुछ नही
9. चुराई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां – शुन्य
10. चुराई हुई लिप्त सम्पतियां का कुल मुल्य :– **रिश्वत राशि 1,10,000/– रू.**
11. पंचनामा/यूडी केस संख्या (अगर कोई हो तो)....................कोई नहीं..........
12. विषय वस्तु प्रथम इतला रिपोर्ट....................

महोदय,

निवेदन है कि परिवादी श्री रमेश चन्द्र पुत्र श्री भागीरथ राम जाति विश्नोई उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत हंसादेश लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर ने एक लिखित रिपोर्ट दिनांक 01.05.2023 को श्री दुर्गसिंह राजपुरोहित, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो चौकी एसयू जोधपुर को इस आशय की पेश की कि हसादेश लोहावट जिला जोधपुर का रहने वाला हूँ तथा मैं 4–5 सालों से खेती बाड़ी का धन्धा मेरे गांव में ही करता हूं। मेरे खिलाफ किसी प्रकार का वर्तमान में कोई मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज नहीं है, लेकिन करीब दस–बीस दिन पहले मेरे को डीएसटी टीम जोधपुर के इन्चार्ज श्री लाखाराम, उप निरीक्षक पुलिस ने शक के आधार पर घर–पर से उठाकर लोहावट गांव की ओरण में लाकर मारपीट कर डराया–धमकाया तथा पुलिस थाना लोहावट में लाकर बंद कर दिया गया। पुलिस थाने के ही स्टाफ द्वारा मुझे दूसरे दिन जांच (पूछताछ) के लिए पुलिस थाना फलोदी लेकर गये। वहां पर श्री राकेश ख्यालिया, सीआई साहब पुलिस थाना फलोदी द्वारा मेरे से पूछताछ की गई तथा कहा कि श्री महेन्द्र कुमार कानि. से जाकर मिल लो व उसके कहे अनुसार कर लो नहीं तो तुझे झूठे मुकदमें में फसा दूगां। जिस पर मैं उसी समय श्री महेन्द्र कुमार कानि. से सम्पर्क कर मिला तो श्री महेन्द्र कुमार कानि. ने कहा कि आप डोडा–पोस्ट का धन्धा करते हो और साहब आपको अन्दर कर देगें, जिस पर मैनें कहा कि आप खेती–बाड़ी का धन्धा करता हो फिर भी शक के आधार पर एनडीपीएस के झूठे मुकदमें में गिरफ्तार कर जेल भिजवा देगें, नहीं तो श्री राकेश ख्यालिया, सीआई को और डीएसटी टीम के इन्जार्च श्री लाखाराम उप निरीक्षक पुलिस को 1,00,000/– रूपये रिश्वत के रूप में मंथली बंधी देनी होगी। श्रीमान जी मैं किसी प्रकार का कोई डोडा–पोस्त सफ्लाई का धन्धा (तस्करी) नहीं करता हूं। मेरे को झूठे शक के आधार पर श्री राकेश ख्यालिया, सीआई साहब पुलिस थाना फलोदी और श्री लाखाराम, उप निरीक्षक पुलिस इन्चार्ज डीएसटी प्रभारी जोधपुर द्वारा डराया–धमकाया जा रहा है तथा श्री महेन्द्र कुमार कानि. पुलिस थाना फलोदी के मार्फत मंथली बंधी के रूप में 1,00,000/– रूपये रिश्वत की मांग कर रहे है। श्रीमान जी मैं इस प्रकार पुलिस के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को रिश्वत देना नहीं चाहता बल्कि मासिक बंधी के रूप में रिश्वत लेते श्री राकेश ख्यालिया, सीआई साहब तथा श्री लाखाराम, उप निरीक्षक पुलिस को एवं श्री महेन्द्र कुमार कानि. को रिश्वत लेते को रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ, दरियाफ्त पर बताया कि पुलिस निरीक्षक व लाखाराम उप निरीक्षक दोनो इसी के मार्फत बात करते हैं व मेरी बात भी कानि. महेन्द्रकुमार ही वाट्सएप पर करता हैं। परिवादी की रिपोर्ट से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, यथासंशोधित 2018 का पाया जाने से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री प्रकाश कानि. नं. 265 को अपने कार्यालय कक्ष में तलब कर कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर कार्यालय की अलमारी से निकलवा कर परिवादी श्री रमेशचन्द्र को कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई तथा श्री प्रकाश कानि. नं. 265 का परिवादी श्री रमेशचन्द्र का आपस में परस्पर परिचय करवाया गया व श्री प्रकाश कानि. नं. 265 व परिवादी रमेशचन्द्र के मोबाईल नम्बर आपस में आदान–प्रदान करवाये गये। तत्पश्चात परिवादी को आरोपीगण से रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाने के लिये कहा तो परिवादी श्री रमेशचन्द्र ने बताया कि रात्री का वक्त होने के कारण आरोपीगण आज मिलना संभव नही हैं तथा मेरे घर में शादी हैं, इसलिये आज रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना संभव नही हैं। जिस पर परिवादी को आरोपीगण से सम्पर्क होने पर श्री प्रकाश कानि. 265 से सम्पर्क करने हेतु निर्देशित किया गया। श्री प्रकाश कानि. 265 को कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर सुपुर्द कर निर्देशित किया गया कि परिवादी से सम्पर्क होने पर आप परिवादी के बताये हुए स्थान पर जाकर परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वति राशि मांग सत्यापन की वार्ता रिकार्ड करवा कर लेकर आवे। तत्पश्चात दिनांक 04.05.2023 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री प्रकाश कानि. 265 ने बताया कि कल रात को परिवादी श्री रमेशचन्द्र ने मोबाईल पर बताया कि मैं मेरे शादी ब्याह से फ्री हो गया हूँ कल सुबह आप फलोदी आ जाओ मेरा आरोपी से सम्पर्क हो गया हैं। जो मेरे से बातचित कर लेगा। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रकाश कानि. को पूर्व में सुपुर्द शुद्दा डिजिटल वायस रिकोर्ड साथ लेकर तुरन्त परिवादी के बताये स्थान पर पहुच परिवादी

से सम्पर्क कर परिवादी व आरोपीगण के मध्य रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता रिकोर्ड कर लाने की आवश्यक हिदायत कर फलोदी रवाना किया गया। उसी रोज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को श्री प्रकाश कानि. नं. 265 ने फोन कर बताया कि परिवादी श्री रमेशचन्द्र के बताये अनुसार परिवादी श्री रमेशचन्द्र व संदिग्ध अधिकारी/कर्मचारी श्री महेंद्र कुमार कानि. से रिश्वति राशि मांग के क्रम में वार्ता हो गई है। परिवादी के बतायेनुसार संदिग्ध कर्मचारी श्री महेन्द्रकुमार कानि. पुलिस थाना फलोदी ने परिवादी की गाडी निकलवा कर खाली होने तक की गारंटी लेते हुए पुलिस निरीक्षक राकेश ख्यालिया व डीएसटी प्रभारी लाखाराम दोनो के लिये प्रति गाडी पचास--पचास हजार रूपये व स्वयं के लिये दस हजार रूपये की मांग की हैं। जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। परिवादी ने बताया कि मेरे घर शादी का कार्य होने से मैं रिश्वत में दी जाने वाली राशि कुल 1,10,000/– रूपये की व्यवस्था कर कल सुबह ऑफीस पहुच जाउंगा। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा कानिस्टेबल को निर्देशित किया गया कि डिजीटल वॉयस रिकार्डर को सुरक्षित रखे। परिवादी को वही रूखस्त करते हुए निर्देशित करें कि आरोपीगण को दी जाने की रिश्वति राशि कुल 1,10,000/–रूपये की व्यवस्था कर कल दिनांक 05.05.2023 को प्रातः 09.30 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर पर उपस्थित आयें व अब तक की कार्यवाही को गोपनीय रखने की हिदायत देकर कार्यालय उपस्थित आवे। वक्त 3.50 पी.एम. पर कानि. श्री प्रकाश नं. 265 रिश्वति राशि मांग सत्यापन के लिये परिवादी के साथ फलोदी गया हुआ था जो निर्देशानुसार परिवादी को रिश्वत राशि की व्यवस्था कर कल कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत कर बाद रिश्वति राशि मांग सत्यापन के कार्यालय में उपस्थित आया एवं डिजीटल वॉयस रिकार्डर स्वीच ऑफ शुदा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द कर बताया कि "मैं आज सुबह 6.30 ए.एम कार्यालय से रवाना होकर बस द्वारा फलोदी पहुच कर परिवादी रमेशचन्द्र से सम्पर्क किया तो रोडवेज बस स्टैण्ड फलौदी पर मिला, मैने परिवादी श्री रमेशचन्द्र को आवश्यक हिदायत देकर अपने साथ लाये कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर का स्वीच ऑन कर परिवादी रमेशचन्द्र को सुपुर्द कर रिश्वति राशि मांग सत्यापन वार्ता करने हेतु पुलिस थाना फलोदी के लिये रवाना किया व मैं पुलिस थाना फलोदी के पास ही गोपनीय रूप से मुकीम रहा। कुछ समय पश्चात् परिवादी श्री रमेशचन्द्र पुनः मेरे पास आया जिस पर मैंने पूर्व में उनको सुपुर्द किया गया कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर उसको स्वीच ऑफ कर मन् कानि. ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी श्री रमेशचन्द ने मुझे बताया कि "मैं आपके पास से रवाना होकर पुलिस थाना फलोदी के अन्दर गया। जहां पर थाना परिसर में मुझे आरोपी श्री महेन्द्र कुमार कानि. मिला, जिसने मेरी गाडी निकाल कर खाली होने तक की गारंटी लेते हुए पुलिस निरीक्षक राकेश ख्यालिया व डीएसटी टीम प्रभारी लाखाराम दोनो के लिये प्रति गाडी पचास–पचास हजार रूपये व स्वयं के लिये दस हजार रूपये की मांग की हैं। जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उसके बाद मैने कहा कि डीएसटी प्रभारी श्री लाखाराम साहब से मेरे सामने बात करो तो महेन्द्र कुमार कानि. ने अपने मोबाईल का स्पिकर ऑन कर वाट्सएप कॉल पर श्री लाखाराम सब इन्सपैक्टर से मेरे सामने बात की, जिनके लिये 50,000/–रूपये तय करने पर हॉ की गई व लाखाराम द्वारा कोई दिकत नही आने की बात कही। बाद में रिश्वत राशि कल शाम को लाकर देने हेतु कहा गया।" जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर को ऑन कर परिवादी श्री रमेशचन्द्र व संदिग्ध अधिकारी महेन्द्र कुमार कानिस्टेबल के मध्य रूबरू रिश्वति राशि मांग सत्यापन की रिकार्ड वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशो को सुना तो परिवादी की गाडी निकाल कर खाली होने तक की गारंटी लेते हुए पुलिस निरीक्षक राकेश ख्यालिया व डीएसटी टीम प्रभारी लाखाराम दोनो के लिये प्रति गाडी पचास–पचास हजार रूपये व स्वयं के लिये दस हजार रूपये की मांग की पुष्टी होना पाया गया व वार्तालाप के दौरान ही कानिस्टेबल महेन्द्र कुमार द्वारा डीसटी प्रभारी श्री लाखाराम को परिवादी के कार्य हेतु पचास में डन करने की वार्ता की पुष्टि हुई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकार्डर अपने पास सुरक्षित हालात में रखा गया एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु एसीबी शहर चौकी से मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ते को दिनांक 05.05.2023 को कार्यालय हाजा उपस्थित आने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 05.05.2023 परिवादी श्री रमेशचन्द्र कार्यालय में उपस्थित आया व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि कानि. महेन्द्र कुमार के मार्फत पुलिस निरीक्षक राकेश

ख्यालिया व डीएसटी प्रभारी जोधपुर लाखाराम पुलिस उप निरीक्षक को उनके द्वारा मांगी जा रही रिश्वत राशि पचास–पचास हजार रूपये व कानि. महेन्द्र कुमार के लिये दस हजार रूपये कुल रिश्वत राशि 1,10,000/– रूपये ट्रेप की कार्यवाही कराने के लिये व्यवस्था करके लाया हूँ। जिस पर अग्रीम कार्यवाही हेतु कार्यालय सहायक अभियन्ता, ए–3 विद्युत विभाग जोधपुर के नाम पत्र जारी कर कानि. अर्जुनसिंह को गवाह तलबी हेतु रवाना किया गया। इसी दरम्यिान पूर्व से निर्देशित मन् पुलिस निरीक्षक एसीबी जोधपुर मय श्री रामकिशोर मु.आ. व कानि. श्री छेलाराम कार्यालय उपस्थित एसयू जोधपुर हुआ व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक से सम्पर्क किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अन्य गोपनीय कार्यवाही में व्यस्त होने से अग्रीम कार्यवाही करने हेतु मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस को चैम्बर में बुलाकर परिवादी श्री रमेशचन्द्र से आपसी परिचय करवा कर परिवादी की रिपोर्ट पत्रावली व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पास सुरक्षित हालात में रखे हुए डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री रमेशचन्द्र व संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार कानि. पुलिस थाना फलोदी व अन्य संदिग्ध अधिकारी की मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड हैं को सुपुर्द कर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया। मन् निरीक्षक पुलिस ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा सुपुर्द की गई परिवादी श्री रमेशचन्द्र की मूल रिपोर्ट मय पत्रावली का अवलोकन किया एवं सुपुर्द किये गये डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमें परिवादी श्री रमेशचन्द्र व संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार कानि. पुलिस थाना फलोदी व अन्य संदिग्ध अधिकारी की मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड हैं, जिसको चालू कर मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंशो को सुना गया तो कानि. महेन्द्रकुमार द्वारा परिवादी श्री रमेशचन्द्र की गाडी निकाल कर खाली होने तक की गारंटी लेते हुए पुलिस निरीक्षक राकेश ख्यालिया व डीएसटी प्रभारी लाखाराम दोनो के लिये प्रति गाडी पचास–पचास हजार रूपये व स्वयं के लिये दस हजार रूपये की मांग की पुष्टी होना पाया गया। डिजिटल वायस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित हालात में रखा गया। वक्त 04.30 पी.एम. पर तलबी शुद्वा स्वतन्त्र गवाहान कार्यालय उपस्थित आये जिनको मन् निरीक्षक पुलिस के कक्ष में तलब कर परिचय पूछा गया तो एक ने अपना नाम श्री प्रमोद भाटी पुत्र श्री नेनूराम भाटी उम्र 42 वर्ष निवासी लड्डा कॉलोनी रातानाडा जोधपुर हाल लाईनमैन प्रथम, कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जेविविएनएल जोधपुर मोबाईल नम्बर 8302030279 .व दूसरे ने अपना नाम श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री धूडाराम यादव उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम नारायणपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर हाल कार्यालय सहायक अभियन्ता ए–3 जेविविएनएल जोधपुर मोबाईल नम्बर 8690205381 .होना बताया। दोनो स्वतन्त्र गवाह को परिवादी श्री रमेशचन्द्र से आपसी परिचय करवाया गया। व ट्रेप की कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने हेतु मौखिक सहमति प्राप्त कर परिवादी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट का अवलोकन करवा कर रिपोर्ट पर दिनांकित हस्ताक्षर करवाये गये एवं डिजिटल वायस रिकार्डर जिसमें परिवादी व संदिग्ध अधिकारीगण के मध्य मांग सत्यापन वार्ता रिकोडेड है, वायस रिकार्डर चला कर मुख्य–मुख्य अंशो को सुनाया गया। वक्त 5.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा दोनों गवाहान के रू–ब–रू परिवादी श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री भागीरथराम जाति विश्नोई उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत हंसादेश लोहावट तहसील लोहावट जिला जोधपुर द्वारा आरोपी श्री महेन्द्रकुमार कानि. पुलिस थाना फलोदी व अन्य को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहा गया जिस पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र ने भारतीय मुद्रा के 2000–2000 रूपये के 55 नोट कुल राशि 1,10,000/– रूपये पेश किये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत नोटों के नंबरो का विवरण निम्नानुसार है:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 LL 278161 |
| 2. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 EM 755180 |
| 3. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 KD 522523 |
| 4. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 AB 219606 |
| 5. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 AP 842765 |
| 6. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 CE 259861 |
| 7. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 EA 114732 |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 FT 162255 |
| 9. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 ER 368116 |
| 10. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 CW 502473 |
| 11. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 LE 218463 |
| 12. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 CH 301737 |
| 13. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2AG 256459 |
| 14. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 EU 658184 |
| 15. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 DU 237272 |
| 16. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 MD 714487 |
| 17. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 KA 135982 |
| 18. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 BF 528051 |
| 19. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 HR 997690 |
| 20. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 BL 207301 |
| 21. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 FW 199529 |
| 22. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 6 AD 256314 |
| 23. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 GT 235176 |
| 24. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 FP 104608 |
| 25. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 KK 439136 |
| 26. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 6 BG 336375 |
| 27. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 FH 439300 |
| 28. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 CD 342981 |
| 29. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 FS 561934 |
| 30. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 LD 918804 |
| 31. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 KM 588750 |
| 32. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 KM 498537 |
| 33. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 KC 365700 |
| 34. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 CH 451271 |
| 35. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 6 BH 836578 |
| 36. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 BG 020789 |
| 37. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 7 KP 700491 |
| 38. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 GB 394996 |
| 39. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 6 FR 540856 |
| 40. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 MQ 954864 |
| 41. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 HR 596978 |
| 42. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 EM 224662 |
| 43. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 EK 164443 |
| 44. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 9 BB 777874 |
| 45. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 DR 703553 |
| 46. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 1 PE 325120 |
| 47. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 2 GC 539035 |
| 48. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 6 DM 445322 |

| | | |
|---|---|---|
| 49. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 8 ES 511295 |
| 50. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 MP 511111 |
| 51. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 5 AG 263607 |
| 52. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 GC 562686 |
| 53. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 0 CM 370136 |
| 54. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 3 GV 006414 |
| 55. | 2000 रूपये का एक नोट नम्बर | 4 HS 995095 |

श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 से कार्यालय हाजा के मालखाना से फिनोफथलीन पाउडर की शीशी मंगवाकर दो–दो हजार के कुल 55 नोट जो कुल रिश्वत राशि 1,10,000/– रूपये हैं को अखबार के उपर रखवाकर नोटों पर हल्का–हल्का फिनोफथलीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी श्री रमेशचन्द्र की जामा तलाशी गवाह श्री ओमप्रकाश यादव से लिवाई जाकर मोबाईल 7067897192 परिवादी के पास रहने दिया गया। इसके अलावा कोई आपतिजनक दस्तावेजात व अन्य राशि नहीं रहने दी गई। उक्त फिनोफथलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि 1,10,000/–रूपये जो आरोपीगण को दी जानी है, जिस पर श्रीमती सुशीला महिला कानि. से उक्त रिश्वत राशि 1,10,000/–रूपये पर हल्का–हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। तत्पश्चात रिश्वति राशि 1,10,000/–रूपये श्रीमती सुशीला महिला कानि. से ही परिवादी श्री रमेशचन्द्र के पहनी हुई जिंस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब में रखवाया जाकर गवाहान के समक्ष परिवादी श्री रमेशचन्द्र को हिदायत दी गई कि इस रिश्वती राशि को रास्ते में नहीं छुऐ एवं आरोपी श्री महेन्द्रकुमार कानि. पुलिस थाना फलोदी जिला जोधपुर द्वारा मांगने पर ही उक्त रिश्वती राशि को जिंस पेन्ट की आगे की दाहिनी जेब से निकाल कर उन्हें देवे तथा आरोपी से हाथ नहीं मिलावे एवं रिश्वत राशि का आदान प्रदान हो जाने पर गोपनीय ईशारा अपने सिर पर आगे से पीछे अपना हाथ फेर कर या अपने मोबाईल से मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस भ्र.नि.ब्यूरो स्पेशल युनिट जोधपुर के मोबाईल नं. 9530292476 पर मिस कॉल करने की हिदायत दी गई। तत्पश्चात् एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया गया। जिसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरी ने घोल का रंग रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमती सुशीला महिला कानि. नम्बर 103 के हाथों की अंगुलियों एवं अंगुठे डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग परिवर्तित होकर गहरा गुलाबी हो गया जिसे सभी हाजरीन ने घोल का रंग गहरा गुलाबी होना स्वीकार किया। सभी हाजरीन को समझाईश की गई कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि के नोटों को हाथ लगाने और सोडियम कार्बोनेट के घोल में हाथ धुलाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट के मिश्रण की क्रिया–प्रतिक्रिया व उपयोगिता के बारे में भली भांति समझाया गया। फिर नोटों पर पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. से गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया जाकर गिलास को साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया एवं जिस अखबार पर रख कर नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाया गया था, उस अखबार को भी जलाकर नष्ट करवाया गया। फिनोफथलीन पाउडर की शीशी को पाउडर लगाने वाली श्रीमती सुशीला महिला कानि. से कार्यालय हाजा के मालखाना में रखवायी गई। गवाहान को हिदायत दी गई कि जहां तक संभव हो परिवादी व आरोपी के बीच में होने वाली रिश्वती राशि लेन देन व वार्तालाप को देखने व सुनने का प्रयास करें। उपस्थित सभी जाब्ता एवं गवाहान की आपस में जामा तलाशी लिवाई जाकर उनके पास कोई आपतिजनक वस्तु एवं राशि नहीं रहने दी गई। सभी उपस्थितान के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। समस्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी रिश्वती राशि दृष्टान्त फिनोफ्थेलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट व सुपुर्दगी रिश्वती राशि मुर्तिब की गई। तत्श्चात मेरे निर्देशानुसार श्री रमेशचन्द्र परिवादी ने गोपनीय तरीके से मालूमात कर बताया कि अब संदिग्ध अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार कानि. आज अन्यत्र ड्यूटी में व्यस्त हैं व मिलने की संभावना कम हैं। यदि कल सुबह जल्दी चला जाये तो पुलिस थाना की बैरक में ही मिल जायेगा जहा पर रिश्वत राशि का लेन–देन हो जायेगा। जिस पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र की

जिन्स पेन्ट की जेब में रखवाये गये रिश्वत राशि के 1,10,000/- रूपये गवाह श्री ओमप्रकाश से निकलवा कर एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित रखवा कर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कक्ष में मेरे नियन्त्रण में लॉक शुद्वा अलमारी को चाबी से खोलकर सुरक्षित हालात में रखवाये गये व आलमारी लॉक कर चाबी मन् निरीक्षक पुलिस के पास सुरक्षित रखी गई दिनांक 06.05.2023 वक्त 06.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्द शुदा परिवादी श्री रमेशचन्द्र गवाह श्री प्रमोद भाटी व श्री ओमप्रकाश यादव ब्यूरो कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर उपस्थित आये। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा अलमारी का ताला खुलवाकर गवाह श्री ओमप्रकाश यादव से रिश्वत राशि के 1,10,000/- रूपये का सफेद लिफाफा निकलवा कर गवाह श्री ओमप्रकाश यादव से लिफाफे में रखी रिश्वत राशि के 1,10,000/- रूपये निकलवाकर परिवादी श्री रमेशचन्द्र के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहिनी जेब में रखवाये गये एवं सफेद लिफाफे को नष्ट करवाया गया व गवाह श्री ओमप्रकाश के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। तत्पश्चात वक्त 07.20 ए.एम.. पर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय दोनो स्वतन्त्र श्री प्रमोद भाटी व श्री ओमप्रकाश यादव मय परिवादी श्री रमेशचन्द्र ब्यूरो जाब्ता श्री अयुबखान सहायक उप निरीक्षक, श्री रामकिशोर हैड कानि. नं. 56, श्री मेघराज हैड कानि.63, श्री प्रकाश कानि. 265, श्री गणेश कुमार कानि. नं. 219, श्री छैलाराम कानि. नं. 46, श्री अर्जुनसिंह कानि. नं. 319 जरिये सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 8906 मय कानि. चालक श्री प्रेमसिंह व सरकारी वाहन टवेरा नं. आरजे 14 युसी 8795 मय कानि. चालक श्री खमाराम के ट्रेप बॉक्स, आवश्यक सामग्री, कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकार्डर, लैपटॉप मय प्रिन्टर के अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु कार्यालय भ्र.नि.ब्यूरो.जोधपुर से फलौदी की तरफ रवाना होकर फलोदी पहुँचा एवं बाद ट्रैप कार्यवाही प्रयास के परिवादी को वही रूकसत कर वक्त 04.30 पी.एम. पर पुनः समस्त हमराहियान के ब्यूरो चौकी स्पेशल यूनिट जोधपुर आया एवं हालात दर्ज किये कि मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय समस्त हमरायान के कार्यालय से रवाना होकर वक्त 10 ए.एम पर फलौदी थाने से कुछ दुरी पहले रोडवेज बस स्टेण्ड के पास पहुचे जहां पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र से आरोपी की उपस्थिति के बारे में गोपनीय रूप से मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने गोपनीय रूप से मालुमात कर बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री महेन्द्र कुमार कानि. पुलिस थाने में नही होकर कही बाहर गया हुआ है जिस पर समस्त हमराहियान के कस्बा फलौदी से कुछ दुरी पर बीकानेर रोड पर ढाबे पर पहुचकर सदिग्ध कर्मचारी के थाने पर उपस्थित आने के इन्तजार में मुकिम रहै। वक्त 02.00 पी.एम. पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी श्री रमेशचन्द्र से आरोपी की उपस्थिति के बारे में पुनः गोपनीय रूप से मालुमात करवाया गया तो परिवादी ने गोपनिय रूप से मालुमात कर बताया कि संदिग्ध कर्मचारी श्री महेन्द्र कुमार कानि. आज तक पुलिस थाने में उपस्थित नही आया है तथा शाम तक थाने में उपस्थित आने की संभावना नही है साथ ही परिवादी ने बताया कि संदिग्ध कर्मचारी बहुत ही शातिर प्रवृती का है तथा बार-बार सम्पर्क करने पर शक होने की संभावना है एसी स्थिती में संदिग्ध कर्मचारी द्वारा पुनः संम्पर्क करने पर या एक-दो दिन के अन्तराल के बाद अग्रिम कार्यवाही करना उचित रहेगी। परिवादी के बताये तथ्यो के अनुसार आज अग्रिम ट्रेप कार्यवाही होना संभव नही होने पर समस्त हालात श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को निवेदन किये गये ताबाद परिवादी श्री रमेशचन्द्र के पहनी हुई जिन्स पेन्ट की दाहीनी जेब में रखवायी गयी रिश्वत राशि के 1,10,000/-रूपये गवाह श्री ओमप्रकाश यादव से निकलवा कर एक सफेद लिफाफे में सुरक्षित रखवा कर गवाह श्री ओमप्रकाश यादव के पास सुरक्षित रहने दी गई। ततपश्चात परिवादी श्री रमेशचन्द्र को गोपनियता बरतने की हिदायत कर निर्देशित किया गया की जब भी संदिग्ध कर्मचारी पुनः सम्पर्क करे तो तुरन्त मन् निरीक्षक पुलिस या कानि प्रकाश को जरिये फोन सुचित करे एव बुलाने पर तुरन्त कार्यालय में उपस्थित आवे ताबाद परिवादी श्री रमेशचन्द्र को वही से रूखसत कर मन् मनीष वैष्णव निरीक्षक पुलिस मय शेष समस्त हमराहीयान के जरिये सरकारी वाहनो के मय चालको के कस्बा फलौदी से रवाना होकर कार्यालय स्पेशल युनिट जोधपुर पहुचा। गवाह श्री ओमप्रकाश यादव के पास सुरक्षित रखा रिश्वत राशि 1,10,000/- रूपये का लिफाफा गवाह से प्राप्त कर रिश्वति राशि का लिफाफा, डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं परिवादी की शिकायत की पत्रावली मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा ब्यूरो चौकी स्पेशल युनिट के कार्यालय के निरीक्षक पुलिस के कक्ष की अलमारी में सुरक्षित रखकर ताला लगवाकर चाबी अपने पास सुरक्षित रखी।

दिनांक 09.05.2023 वक्त 10.45 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र पुत्र श्री भागीरथराम जाति विश्नोई निवासी ग्राम पंचायत हंसादेश लोहावट जिला जोधपुर कार्यालय उपस्थित हो एक हस्तलिखित रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि परिवादी द्वारा दिनांक 01.05.2023 को इसी कार्यालय में उपस्थित हो पुलिस कानि0 महेन्द्र कुमार व अन्य के विरूद्ध रिश्वत राशि की मांग करने पर रंगे हाथ पकड़वाने बाबत रिपोर्ट दी गई थी, जिस पर मांग सत्यापन की कार्यवाही के बाद एसीबी की कार्यवाही की भनक लग जाने व राकेश ख्यालिया थानाधिकारी फलौदी द्वारा टोल पर फुटेज से एसीबी के साथ परिवादी की पहचान हो जाने से अब रिश्वत राशि का लेनदेन संभव नहीं होने से परिवादी द्वारा ट्रेप हेतु पेश की गई रिश्वत राशि एक लाख दस हजार रूपये पुनः लौटाने का निवेदन किया गया। चूंकि परिवादी द्वारा दी गई पूर्व रिपोर्ट व पत्रावली व रिश्वत राशि मन् निरीक्षक पुलिस मनीष वैष्णव की अभिरक्षा में सुरक्षित हालात में रखी होने से मन् निरीक्षक पुलिस को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा जरिए मोबाईल स्पेशल यूनिट कार्यालय पर उपस्थित आकर अग्रीम कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस स्पेशल यूनिट कार्यालय में उपस्थित हुआ। परिवादी श्री रमेशचन्द्र द्वारा अग्रीम कार्यवाही संभव नहीं होने से ट्रेप की राशि पुनः लौटाने हेतु श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश की गई रिपोर्ट अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा रिपोर्ट पर पृष्टांकन कर अग्रीम कार्यवाही हेतु मन् निरीक्षक पुलिस को सुपुर्द की गई व आगे की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। तत्पश्चात तलबी शुदा गवाहान श्री ओमप्रकाश यादव व श्री प्रमोद भाटी ब्यूरो चौकी पर मन् निरीक्षक पुलिस के निर्देशानुसार उपस्थित आए। उक्त गवाहान को परिवादी द्वारा पेश हस्तलिखित रिपोर्ट का अवलोकन करवाया तथा प्रकरण में अग्रीम कार्यवाही संभव नहीं होने के संबंध में अवगत करवाकर मांग सत्यापन वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट बनाने का निर्णय लिया गया। वक्त 11.45 ए.एम. पर परिवादी श्री रमेशचन्द्र एवं दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री ओमप्रकाश यादव व श्री प्रमोद भाटी की उपस्थिति में दिनांक 04.05.2023 को परिवादी श्री रमेशचन्द्र एवं आरोपी श्री महेन्द्र कुमार कानि0 के मध्य हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन रूबरू वार्ता व उसी दौरान श्री महेन्द्र कुमार कानि0 व श्री लाखाराम उपनिरीक्षक पुलिस के मध्य हुई वाट्सएप वार्तालाप जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड है। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मन् निरीक्षक पुलिस की सुरक्षित अभिरक्षा से निकालकर रिकार्डर को मेरे निर्देशन में एवं मौजुदगी में कम्प्यूटर ऑपरेटर श्री प्रकाश कानि. नं. 265 द्वारा कार्यालय के कम्प्यूटर से कनेक्ट कर रुबरु मौतबिरान व परिवादी के सुन–सुन कर शब्द–बशब्द फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट रिश्वत राशि मांग सत्यापन तैयार की जाकर, फर्द पर संबंधितान के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल रनिंग नोट किया गया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड वार्ता में परिवादी श्री रमेशचन्द्र ने अपनी व श्री महेन्द्र कुमार कानि0 व श्री लाखाराम उपनिरीक्षक पुलिस की आवाज होने की पहचान की। उक्त वार्तालाप की विभागीय कम्प्यूटर की मदद से चार सीडीयां तैयार की। एक सीडी को मूल मानते हुए कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को शील्ड मोहर कर थैली पर प्रकरण का विवरण अंकित कर सम्बन्धितान के हस्ताक्षर करवाये गये। तीन सीडीयों को डब मानते हुए खुला ही रहने दिया गया व जिसमें से एक सीडी अनुसंधान अधिकारी के लिए खुली हालात में रखी गई। उक्त चारों सीडीयों को मालखाना प्रभारी श्री मेघराज हैडकानि. को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाई गई। तत्पश्चात परिवादी द्वारा पेश की गई ट्रेप राशि 1,10,000 रूपये जो सफेद लिफाफे में मेरी अभिरक्षा में कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित हालात में रखी हुई है उस लिफाफे को स्वतंत्र गवाहान के समक्ष अलमारी से निकालकर लिफाफे से 1,10,000 रूपये परिवादी श्री रमेशचन्द्र को गिनवाकर सुपुर्द कर प्राप्ति रसीद प्राप्त की गई।

सम्पूर्ण कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 04.05.2023 को रिश्वती राशि मांग सत्यापन करवाया जाने पर परिवादी श्री रमेशचन्द व आरोपी श्री महेन्द्रकुमार कानि. के मध्य हुई वार्ता के दौरान आरोपी श्री महेन्द्रकुमार कानि. द्वारा परिवादी श्री रमेश चन्द से उसका काम करने की गारंटी लेते हुये श्री लाखाराम उप निरीक्षक पुलिस व श्री राकेश ख्यालिया थानाधिकारी पुलिस थाना फलोदी के लिए पचास–पचास हजार रूपये एवं अपने लिए दस हजार रूपये मंथली के रूप में बतौर रिश्वत मांग करना तथा वक्त रिश्वती राशि मांग वार्ता के दौरान ही अपने मोबाईल का स्पीकर ऑन कर श्री लाखाराम उप निरीक्षक पुलिस से वॉट्सऐप वॉयस कॉल कर वार्ता की गई एवं उनके लिए परिवादी से पचास हजार रूपये मांगने की बात करने पर श्री

लाखाराम उप निरीक्षक द्वारा परिवादी का काम करने की स्वीकृति देते हुये पच्चास हजार रूपये मांग के रूप में डन (स्वीकृति प्रदान) करना व कानि. महेन्द्र कुमार द्वारा परिवादी की गाड़ी निकालने की व खाली होने तक की गांरटी लेकर अपने स्वंय के लिए व श्री लाखाराम उ.नि. पुलिस की स्वीकृति के अनुसार लाखाराम उप निरीक्षक पुलिस व श्री राकेश ख्यालिया निरीक्षक पुलिस के लिए रिश्वती राशि मांग करने की पुष्टि हुई तत्पश्चात ट्रैप कार्यवाही का आयोजन करने पर आरोपीगणो को भनक लग जाने पर रिश्वती राशि का आदान प्रदान नही हो सका। इस प्रकार आरोपी श्री महेन्द्र कुमार कानि. व अन्य द्वारा षडयन्त्रपूर्वक परिवादी श्री रमेशचन्द को एन.डी.पी.एस. के झूठे मुकदमें में फंसाने एवं जेल भेजने का डर दिखाकर रिश्वती राशि की मांग कर आपराधिक कृत्य अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. का कारित करना प्रथम दृष्टया कारित करना पाया गया है।

परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में आरोपी का नाम महेन्द्र कुमार पुलिस थाना फलोदी बताया गया हैं। जबकि आरोपी के प्राप्त सेवा विवरण के अनुसार आरोपी का सही एवं पूर्ण नाम श्री महेन्द्र पुत्र श्री हुकमाराम उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट चिरढ़ाणी तहसील बिलाड़ा पुलिस थाना पीपाड़ जिला जोधपुर हाल कानि0 नं. 674 पुलिस लाईन जोधपुर ग्रामीण हैं।

अतः आरोपी श्री महेन्द्र पुत्र श्री हुकमाराम उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट चिरढ़ाणी तहसील बिलाड़ा पुलिस थाना पीपाड़ जिला जोधपुर हाल कानि0 नं. 674 पुलिस लाईन जोधपुर ग्रामीण व अन्य के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु प्रेषित हैं।

भवदीय,

(मनीष वैष्णव नि0पु0)
**निरीक्षक पुलिस**
**भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,**
**स्पेशल यूनिट, जोधपुर**

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री मनीष वैष्णव, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, स्पेशल यूनिट, जोधपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण 1988(यथा संशोधित 2018)एवं 120बी भादसं में आरोपी श्री महेन्द्र पुत्र श्री हुकमाराम, कानि. नम्बर 674, पुलिस लाईन जोधपुर ग्रामीण एवं अन्य के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 140/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.6.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांकः- 1061-65 दिनांक 06.06.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस, रेंज जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जोधपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर।
5. अतितिरक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू., जोधपुर।

6.6.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।